पत्रांक- अ0स0क0 05-01/2013 ..../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सीतामढ़ी जिला के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति की प्रत्याशा में द्वितीय किस्त की राशि कुल ₹ 615.00 लाख रुपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र की निकासी तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- 3/5(5)/2008 पीपी-1 दिनांक 11.11.2011 के आलोक में सीतामढ़ी जिला के उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति के प्रत्याशा में योजना के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से द्वितीय किस्त की राशि कुल ₹ 615.00 लाख रुपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् स्तंभ 9 के अनुरूप प्रदान की जाती है-

(राशि लाख रूपये में)

क्र0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि	द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि के व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीतामढ़ी	Construction of Boys Polytechnic including boys hostel	01	1230.00	1230.00	1230.00	-	615.00
	कुल				**1230.00**	**1230.00**	-	**615.00**

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 051 निर्माण 0221- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विषय शीर्ष 53 01- मुख्य निर्माण, विपत्र कोड P-4059800510221, मांग संख्या- 03 के अन्तर्गत केन्द्रांश के बजट में प्रावधानित राशि के व्यय की स्वीकृति तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 वि0 (2) दिनांक 31.1.2008 में निहित प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये विकलनीय होगा ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से आवश्यकतानुसार संबंधित कोषागार से की जायगी। इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी होंगे जिसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा ।

4. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा ।

5. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित योजना के फोटो सहित विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

6. इस राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं है । भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत संबंधित कार्य प्रमण्डल को राशि आवंटित की जाएगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 32 पटना, दिनांक 22.4.2015

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

22.4.15